Title: Need to provide more funds to the State Government of Haryana for providing relief to the people affected by the flood in 1998.

डा. सुशील इन्दौरा (सिरसा): सभापति महोदय, सामान्यतः जल जीवन होता है किन्तु जल का उग्र रूप जीवन के स्थान पर विनाश का कारण भी बन जाता है। गत वर्ष देश इसका भुक्तभोगी हुआ। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जल के उग्र रूप के कारण तबाह हो गये। अनेकों राज्यों में प्रधान मंत्री जी ने स्वंय जाकर स्थिति का अध्ययन किया और तत्काल राहत राशि दी। परंतु हरियाणा में हुई तबाही की भरपायी आज तक नहीं की गयी है। केन्द्र ने एक दल हालात का अध्ययन करने भेजा। दल ने पाया राज्य में ११ लाख हैक्टेअर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। २९७१ करोड़ रूपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया। सरकार से अनुरोध किया गया कि तत्काल ७५७.२० करोड़ रूपये की न्यूनतम केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाए, ताकि अभावग्रस्त लोगों को राहत मिले। सरकार ने कृषि उत्पादों के नुकसान का तो आकलन कराया किन्तु कृषि के सहायक अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की हानि का आकलन अभी तक भी नहीं किया गया। कृषि उत्पाद पर प्रभाव से, खेतिहर मजदूर, मंडियों में मेहनतकश मजदूर, कमीशन एजेंट, आढ़तिया आदि सभी इस प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित होते हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की हुई हानि का भी आकलन कराया जाए तथा उन्हें भी राहत दी जाए और सरकार तत्काल इसके लिए हरियाणा राज्य को राहत राशि दे। धन्यवाद

सभापति महोदय : अब अगर हाउस इसकी अनुमति दे

... (व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): नियम ३७७ के मामले में हमारी पार्टी का एक मैम्बर एब्सैन्ट है। उनका मामला मंजूर था। आपकी इजाजत हो तो हमें उनकी तरफ से बोलने की आज्ञा मिल जाए। वह कागज मेरी जेब में रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : जेब में रखे होने से क्या होता है।

श्री राजवीर सिंह (आंवला): सभापति महोदय, नियम ३७७ के तहत मेरा नाम भी लिस्ट में हैं, आपने मेरा नाम नहीं पुकारा।